**गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५**

**प्रमाणीकरण मिति: २०७५/०३/२९**

**प्रस्तावनाः**

गौर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय कर,शुल्क,दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिनतथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोलेनेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम गौर नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

1. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “ गौर नगरपालिकाकोआर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२)यो ऐन मिति २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि गौरनगरपालिका क्षेत्रभित्रलागू हुनेछ ।

२. **परिभाषा**:बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –

(क)"नगरपालिका" भन्नाले गौर नगरपालिकालाई जनाउँदछ ।

 (ख)"नगर सभा" भन्नाले गौर नगरपालिकाको नगर सभालाई जनाउँदछ ।

(ग)"कार्यपालिका" भन्नाले गौर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई जनाउँदछ ।

(घ)"आर्थिक ऐन" भन्नाले गौर नगरपालिकाको नगर सभाले पारित गरी प्रमाणीकरण भएको गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ लाई जनाउँदछ ।

1. **सम्पति कर:**नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम सम्पति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ र सम्पतिको मूल्याङकन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार गरिनेछ ।
2. **घरजग्गा कर:**(१)नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम आ.ब.२०७४/०७५सम्मको बक्यौता घरजग्गा कर असुल उपर गरिनेछ ।

(२)आ.ब.२०७५/०७६ देखि सम्पति कर लागु हुने भएकोले सोही मिति देखि लागू हुने गरी घरजग्गा कर खारेज हुनेछ ।

1. **मालपोत/भूमिकर:**(१)नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (३) बमोजिम आ.व.२०७४/०७५ सम्मको बक्यौता मालपोत/भूमिकर असुल उपर गरिनेछ।

(२)आ.ब.२०७५/०७६ देखि सम्पति कर लागु हुने भएकोले सोही मिति देखि लागू हुने गरी मालपोत/भूमिकर खारेज हुनेछ ।

1. **घर वहाल कर:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा स‌ंघ संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रो, सेड,जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वा अन्य कुनै आम्दानी हुने गरी बहालमा दिएकोमा अनुसूचि (४)बमोजिम वहाल कर लगाई असूल गरिनेछ ।
2. **व्यवसाय कर:** (१)नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग,व्यापार, व्यवसाय,सेवा र यस्तै प्रकारको जुनसुकै कारोवार गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई व्यवसायको प्रकृति,आर्थिक कारोबार,स्थान विशेष र लगानीको आधारमा अनुसूचि (५) बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

(२)त्यसरी व्यवसायकर असुल गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था र सुपर मार्केटहरुको हकमा प्रत्येक कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाई मानी असुल उपर गरिनेछ ।

1. **जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (६) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
2. **स्थानीय पूर्वाधार शुल्क(सवारी कर:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनहरुमा र यस नगरक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुलार्इ अनुसूचि (७) बमोजिम सवारी साधन कर लगाउन रअसुल उपर गर्न सकिनेछ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
3. **विज्ञापन कर:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (८) बमोजिम विज्ञापन कर लगाउन र असूल उपर गर्न सकिनेछ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।
4. **मनोरन्जन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने जुनसुकै मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (९) बमोजिम मनोरंजनकर लगाउन र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
5. **पार्किङ शुल्क:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र सवारी साधनहरुलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाउन र असूल उपर गर्न सकिनेछ ।
6. **बहाल बिटौरी कर**: नगरपालिकाक्षेत्रभित्र आफूले निर्माण,रेखदेख वा संचालन गरेको वा सार्वजनिक ऐलानी पर्ति जग्गा वा भवनमा हाट बजार वा पसल वा सडक,बाटो किनार वा विशेष मेला पर्वमा अनुसूचि (११) बमोजिमको बिटौरी कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
7. **सेवा शुल्कर दस्तुर:** (१)नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका तथा उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्राहीबाट अनुसूची ११ बमोजिम दस्तुर लगार्इ असुल गर्न सकिनेछ ।

(२)अनूसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क लगाउन र असूल उपर गर्न सकिनेछ।

1. **भाडा तथा बहालबाट आय:**नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा,भवन,पोखरी वा हल,प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध गराएमा अनुसूचि (१३) बमोजिम भाडा असुल उपर गर्न सकिनेछ ।
2. **बिजुली र टेलिफोन पोल शुल्क:**नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका बिजुली र टेलिफोन पोल वा टावरमा अनुसूची (१४) बमोजिमको शुल्क लगाई असुल उपर गर्न सकिनेछ ।
3. **पर्यटन शुल्क:**नगरपालिकाले तोकेको स्थानहरुमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूची (१५) बमोजिम पर्यटन शुल्क लगार्इ असुल उपर गर्न सकिनेछ ।
4. **दण्ड जरिवाना:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङग वा व्यापार गर्ने वा सार्वजनिक लगायतका स्थलमा फौहोरमैला गर्ने तथा प्रचलित कानुन बिपरीतका कार्य गर्नेलार्इ अनुसूची (१६) बमोजिम जरिवाना गरिनेछ ।
5. **कर,शुल्क तथा दस्तुर संकलन कार्यविधि:** यसऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसंग नबाझिनेगरी कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
6. **अन्य व्यवस्था:**गौर नगरपालिकाका वडा,बिषयगत शाखावा अन्य कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर,शुल्क,दस्तुर तथा जरिवानालार्इ सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य असुल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
7. **अनसूचिमा थपघट वा हेरफेरमा गर्न सक्ने:** यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्यपालिकाले आर्थिक ऐनको अनुसूचिहरुमा आवश्यकतानुसार थपघट गर्न वा अनुसूचिमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
8. **नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने:** यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाले आवश्यक नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
9. **साबिक बमोजिम हुने:**यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेखित नभएको हकमा साबिक बमोजिम नै हुनेछ।
10. **निर्णय वा आदेश जारी गर्न सक्ने:**यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा वा कुनै विषय स्पष्ट हुन नसकेकोमा सोको निराकरणका लागि कार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गर्न वा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी गरिएको निर्णय वा आदेश यसै ऐनको अभिन्न अंग मानिनेछ ।
11. **मिन्हा वा छुट गर्ने:** नगरपालिकाले असुल उपर गर्नु पर्ने कुनै बक्यौता रकम असुल उपर गर्दा वा छुट दिंदा साबिकको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १७१ को नियम५ मा भएको व्यवस्थालाई आधार लिई कार्यपालिकाले मिन्हा वा छुट गर्न सक्नेछ ।
12. **खारेजी:**नगरपालिकाले साबिकमा लागू गदै आएका व्यवस्थाहरु यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म खारेज हुनेछ ।

**अनुसूची-१**

**सम्पति कर**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | मूल्यांकन रकम | बार्षिक सम्पतिकर रकम |
| १ | १ | देखि | ५ लख | सम्म | नलाग्ने |
| २ | ५ लाख १ | देखि | ७ लाख ५० हजार | सम्म | नलाग्ने |
| ३ | ७ लाख ५० हजार १ | देखि | १० लाख  | सम्म | नलाग्ने |
| ४ | १० लाख १ | देखि | १५ लाख | सम्म | नलाग्ने |
| ५ | १५ लाख १ | देखि | २० लाख | सम्म | नलाग्ने |
| ६ | २० लाख १ | देखि | २५ लाख | सम्म | १५००/- |
| ७ | २५ लाख १ | देखि | ३० लाख | सम्म | १८००/- |
| ८ | ३० लाख १ | देखि | ४० लाख | सम्म | २)००/- |
| ९ | ४० लाख १ | देखि | ५० लाख | सम्म | २५००/- |
| १० | ५० लाख १ | देखि | ६० लाख | सम्म | २७००/- |
| ११ | ६० लाख १ | देखि | ७० लाख | सम्म | ३०००/- |
| १२ | ७० लाख १ | देखि | ८० लाख | सम्म | ३२००/- |
| १३ | ८० लाख १ | देखि | ९० लाख | सम्म | ३५००/- |
| १४ | ९० लाख १ | देखि | १ करोड | सम्म | ३७००/- |
| १५ | १ करोड १ | देखि | १ करोड ४० लाख | सम्म | ४०००/- |
| १६ | १ करोड ४० लाख १ | देखि | १ करोड ६० लाख | सम्म | ४२००/- |
| १७ | १ करोड ६० लाख १ | देखि | १ करोड ८० लाख | सम्म | ४५००/- |
| १८ | १ करोड ८० लाख १ | देखि | २ करोड  | सम्म | ५०००/- |
| १९ | २ करोड १ | देखि | २ करोड ५० लाख | सम्म | ५५००/- |
| २० | २ करोड ५० लाख १ | देखि | ३ करोड  | सम्म | ६०००/- |
| २१ | ३ करोड १ | देखि | ३ करोड ५० लाख | सम्म | ७०००/- |
| २२ | ३ करोड ५० लाख १ | देखि | ४ करोड  | सम्म | ८००००/- |
| २३ | ४ करोड १ | देखि | ४ करोड ५० लाख | सम्म | १००००/- |
| २४ | ४ करोड ५० लाख १ | देखि | ५ करोड  | सम्म | १५०००/- |
| २५ | ५ करोड १ | देखि | माथिको मूल्याँकनमा |  | २००००/– |

अनुसूची-२

**घरजग्गा कर**

आ.व.२०७४/०७५ सम्मको बक्यौताको लागि मात्र

|  |  |
| --- | --- |
| विवरण | रकम |
| रु.१० लाख सम्मको मूल्याङकन गर्नुपर्ने भएमा सेवा शुल्क वापत | ३००/– |
| त्यस पछिको १० लाख सम्मलार्इ  | ३५०/– |
| त्यस पछिको ३० लाख सम्मलार्इ  | ०.०५ प्रतिशत |
| त्यस पछिको ५० लाख सम्मलार्इ  | ०.२५ प्रतिशत |
| त्यस पछिको १ करोड सम्मलार्इ  | ०.५० प्रतिशत |
| त्यस पछिको माथिलार्इ  | १.५० प्रतिशत |
| नोट **M**जग्गाको मूल्याङकन गर्दा घर बनेको किताको मूल्याङकन गर्नुपर्नेछ, तर घरले चर्चेको जग्गा भन्दा क्षेत्रफल बढी भएमा कुल क्षेत्रफलको ७० प्रतिशत जग्गाको मूल्याङकन गरिनेछ । |

**अनुसूची-३**

**मालपोत/भूमिकर**

**आ.ब.२०७४/०७५ सम्मको बक्यौताको लागि मात्र**

|  |  |
| --- | --- |
| **भूमिकर तर्फको जग्गा** | **आ.ब.०७४/०७५ को प्रतिकठ्ठा रु.४५/-र आ.ब.२०७३/०७४ सम्मको प्रत्येक बर्षको प्रतिकठ्ठा रु.२०/-** |
| **मालपोत तर्फको जग्गा** | **प्रतिकठ्ठा रु.१०/- (प्रत्येक बर्ष)** |
| **नोटM१कठ्ठा भन्दा मुनि जति सुकै धुर भएता पनि सो लाई १ कठ्ठा मानी असुल गरिनेछर बक्यौतामा ३५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।** |

**अनुसूची-४**

घर वहाल कर

|  |  |
| --- | --- |
| 1. नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा स‌ंघ संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रो, सेड,जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वा अन्य कुनै आम्दानी हुने गरी बहालमा दिएकोमा वहाल कर लगाई असूल गरिनेछ ।
 | बहाल रकमको १०% |

**अनुसूची-५**

व्यवसाय कर

|  |
| --- |
| **खाद्यfन्न बिक्री गर्ने तर्फ:** |
| **धान,चामल,मकै,गहुँ,तोरी,मसुरी,मुङग,रहर तथा पारचुन आदिको गल्ला किराना आदि** |  |
| क श्रेणी रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी भएको | २०००/- |
| ख श्रेणी रु ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म पूँजी भएको | २०००/- |
| ग श्रेणी रु १ लाख भन्दा माथि ५ लाख सम्म पूँजी भएको | १५००/- |
| घ श्रेणी रु ५० हजार भन्दा १ लाख सम्म पूँजी भएको | १५००/- |
| **कपडा पसल तर्फ रेडिमेड,थानवाला:** |
| क श्रेणी रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी भएको | ५०००/- |
| ख श्रेणी रु ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म पूँजी भएको | ३०००/- |
| ग श्रेणी रु १ लाख भन्दा माथि ५ लाख सम्म पूँजी भएको | २०००/- |
| घ श्रेणी रु १ लाख भन्दा मुनि पूँजी भएको | १५००/- |
| **जुत्ता,चप्पल पसल तर्फ:** |
| क श्रेणी रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी भएको | ५०००/- |
| ख श्रेणी रु ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म पूँजी भएको | ३०००/- |
| ग श्रेणी रु १ लाख भन्दा माथि ५ लाख सम्म पूँजी भएको | २०००/- |
| घ श्रेणी रु १ लाख भन्दा मुनि पूँजी भएको | १५००/- |
| **भाडा वर्तन पसल तर्फ:** |
| क श्रेणी रु ५० हजार भन्दा माथि पूँजी भएको | २०००/- |
| ख श्रेणी रु ५० हजार भन्दा मुनि पूँजी भएको | १०००/- |
| **नोट:-माटोकोभाडा बनाई बिक्री गर्ने तथा शहिद परिवार,दलित,अपाँग तथा एकल महिलालाई पूर्ण छुटरहको ।** |
| **होटल,लज,रेष्टुरेन्ट व्यवसाय तर्फ:** |
| क.नाचगान समेत भएको बार एण्ड रेष्टुरेन्ट | ५०००/- |
| ख.खाना र अल्कोहलयुक्त पेय बिक्री गर्ने इजाजत भएको बस्ने सुबिधा सहितको होटल | ५०००/- |
| ग.लज बास बस्ने | २०००/- |
| घ.अल्कोहलयुक्त पेय बिक्री गर्ने इजाजत प्राप्त होटल | ३०००/- |
| ङ.चमेना तथा मिठाई बिक्री गर्ने | १०००/- |
| च. चिया तथा पान पसल | ५००/- |
| **निर्माण सामाग्री,हार्डवेयर,विद्युत सामाग्री,मार्बल बिक्री गर्ने पसल तर्फ:** |
| क.श्रेणी रु ३ लाख माथि पूँजी भएको | ५०००/- |
| ख.श्रेणी रु २ लाख माथि ३ लाख सम्म पूँजी भएको | ३०००/- |
| ग.श्रेणी रु १ लाख देखि २ लाख सम्म पूँजी भएको | २५००/- |
| घ.श्रेणी रु १ लाख सम्म पूँजी भएको | २०००/- |
| **सुन,चाँदी,पितल,आल्मुनियम बिक्री गर्ने तथा गर गहना बनाउने पसल तर्फ:** |
| क.श्रेणी सुन,चाँदीको इजाजत लिई थोक बिक्री गर्ने  | ५०००/- |
| ख.सुन,चाँदीको गहना बनाउने रु १ लाख भन्दा माथि पूँजी भएको | ३०००/- |
| **ग.सुन,चाँदीको गहना बनाउने रु १ लाख सम्म पूँजी भएको** | २०००/- |
| **स्टेशनरी पसल तर्फ:** |
| क.५ लाख भन्दा माथिको पूँजि भएको | ३०००/- |
| ख.१ लाख भन्दा माथि ५ लाख सम्म पूँजि भएको | १५००/- |
| ग.१ लाख भन्दा मुनि पूँजि भएको | १०००/- |
| **माछा,मासु बिक्री गर्ने पसल तर्फ:** |  |
| क.राँगा,खसी काटी बेग्ला बेग्लै बिक्री गर्ने | १०००/- |
| ख.खसी तथा कुखुरा पालन पोल्टीफर्म | २०००/- |
| ग.राँगा,खसी काटी एकै ठाउँमा बिक्री गर्ने | १५००/- |
| घ.माछा बिक्री गर्ने | १०००/- |
| ङ.कुखुराको मासु बिक्री गर्ने | १०००/- |
| च.छाला प्रसोधन गर्ने कार्य | २०००/- |
| **औषधी पसल तर्फ:** |  |
| क.थोक बिक्रेता लाई | ३०००/- |
| ख.रु १ लाख भन्दा माथि पूँजि भएको खुद्रा बिक्रेता | १५००/- |
| ग.रु १ लाख सम्म पूँजि भएको खुद्रा बिक्रेता | १०००/- |
| **सूचिकार पसल तर्फ** |  |
| क. ५ भन्दा बढी सिलाई मेशिन राखेको | १५००/- |
| ख. ५ वटा सम्म सिलाई मेशिन राखेको | १०००/- |
| ग. २ वटा सम्म सिलाई मेशिन राखेको | ५००/- |
| **रेडियो,इलेक्टोनिक सामान,क्यामरा,हिटर,फ्रिज,कम्प्यूटर अदी सामान बिक्री गर्ने पसल तर्फ:** |  |
| क.थोक बिक्रेता लाई | ५०००/- |
| ख.रु १ लाख भन्दा माथि पूँजि भएको  | २०००/- |
| ग.रु ५० हजार भन्दा माथि १ लाख सम्म पूँजि भएको  | १५००/- |
| घ. रु ५० हजार सम्म पूँजि भएको | १०००/- |
| **मर्मत पसल (नियम १४२ को अनुसूची १० को सि.नं. १५ बमोजिम):** |  |
| १. हेभि इक्विपमेन्ट बस,कार,ट्र्क र टेम्पु मर्मत गर्ने  | २०००/- |
| २. मोटरसाईकल मर्मत गर्ने | १५००/- |
| ३. रेडियो,टिभी,प्रेसर कुकुर,हिटर,टेलिफोन सेट,विधुत सामाग्री,मोबाइल मर्मत गर्ने | १५००/- |
| ४. साईकल मर्मत गर्ने | ५००/- |
| ५. गोरु गाडीको चक्का मर्मत गर्ने,हारमोनियम,ढोलक तथा मादल बनाउने तथा अन्य सामाग्री मर्मत गर्ने | ५००/- |
| ६. सवारी साधन सर्भिसिङगं गर्ने,सवारी साधन धुलाई गर्ने । | ५००/- |
| ७. फलाम तथा जस्तापाताको सामाग्री मर्मत गर्ने | १०००/- |
| ८. प्रेसर कुकुर,स्टोप,ग्याँस चुल्हो मर्मत गर्ने । | ५००/- |
| **सवारी साधन तथा पार्ट पुर्जा बिक्री गर्ने पसल तर्फ:** |  |
| १. कार,जिप,ट्याक्टर,बस,टेम्पु बिक्री गर्ने | १००००/- |
| २. मोटरसाईकल बिक्री गर्ने | ५०००/- |
| ३. साईकल बिक्री गर्ने | २०००/- |
| ४. रु १ लाख भन्दा बढी पूँजि भएको पार्टपुर्जा बिक्री गर्ने | २०००/- |
| ५. रु १ लाख सम्म पूँजि भएको पार्टपुर्जा बिक्री गर्ने | १५००/- |
| **सञ्चार सेवा तर्फ:** |  |
| १. फोटो ल्याब | २०००/- |
| २. फोटो स्टुडियो | १०००/- |
| ३. चस्मा,क्यासेट बिक्री गर्ने | १०००/- |
| ४. फोटोकपी,फ्याक्स,निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा,कुरियर सेवा,हवाई टिकट,टेलिफोन डाँक | ५००/- |
| ५. मोबाईल बिक्री गर्ने  | १५००/- |
| **डाईक्लिनर्स लौण्डी पसल तर्फ:** |  |
| क. डाईक्लिनर्स | १५००/- |
| ख. धोबी पसल | ५००/- |
| **सैलुन पसल,ब्यूटी पार्लर तर्फ:** |  |
| १. ब्यूटी पार्लर व्यवसायिक रुपमा कामदार राखेको | १०००/- |
| २. ब्यूटी पार्लर | ५००/- |
| ३. जेन्स सैलुन | ५००/- |
| **मदिरा,चिसो पेय पदार्थ,सिगरेट,बिडीको थोक तथा खुद्रा बिक्रेता तर्फ** |  |
| १.सिगरेट उत्पादन गर्ने उद्योग | ३०००/- |
| मदिरा उत्पादन गर्ने व्यवसाय | ३०००/- |
| बिडी उद्योग | २०००/- |
| चियापत्ती बिक्रेता तर्फ |  |
| क. चियापत्ती प्याकेज गरी वा नगरी होलसेल बिक्री गर्ने | २०००/- |
| ख. चियापत्ती प्याकेज गरी खुद्रा बिक्री गर्ने | १०००/- |
| **वित्तिय सस्थाको कार्यालय खोली संचालन गर्ने तर्फ** |  |
| क वर्गको बैंक | १५०००/- |
| ख वर्गको बैंक | १००००/- |
| ग र घ वर्गको बैंक | ५०००/- |
| वित्तिय कम्पनी प्रधान कार्यालय | १००००/- |
| वित्तिय कम्पनी शाखा कार्यालय | ५०००/- |
| बिमा कम्पनीको कार्यालय | १००००/- |
| मनी एक्सचेन्ज र बिदेशी मुद्राको सटही काउण्टर | २०००/- |
| माथि उल्लेखित बाहेकका अन्य सहकारी सस्थाहरुलाई | ३०००/- |
| **पेट्रोल,मट्टीतेल,डिजेल,मोबिल,ग्याँस डिलर तर्फ** |  |
| क. डिजेल,पेट्रोल | ४०००/- |
| ख. मट्टीतेल | २०००/- |
| ग. ग्याँस तथा मट्टीतेल बिक्री गर्नेलाई | २०००/- |
| कवाडी सामान, खाली बोरा तथा बाँस खरिद बिक्री गर्ने  |  |
| बाँस तथा ढुङगा,गिट्टी जम्मा गरी बिक्री गर्ने  |  |
| **पण्डाल बनाउने तर्फ** |  |
| क. बिबाह तथा अन्य कामको लागि पण्डाल बनाई भाडामा लगाउने  | २०००/- |
| ख. बिबाह तथा अन्य कामको लागि पण्डाल बनाई भाडामा लगाउने (बिदेशी भारतीय व्यापारीको लागि) | २०००/- |
| ग. खेलौना उपहार (गिफ्ट बक्रेता) | १०००/- |
| घ. कस्मेटिक वा श्रृगार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री बितरण | २०००/- |
| काठ तथा कोईला खरिद गरी बिक्री गर्ने  |  |
| **फर्निचर पसल (काठ,प्लाष्टिक तथा स्टील) तर्फ** |  |
| क. रु १ लाख देखि माथि जतिसुकै पूँजि भएको | २०००/- |
| ख. रु ५० देखि रु १ लाख देखि सम्म पूँजि भएको | १५००/- |
| क. रु ५० हजार सम्म पूँजि भएको | १०००/- |
| स्नुकर (पुल) खेल व्यवसाय  |  |
| **रोजगारी सेवा तर्फ** |  |
| क. स्वदेशीरु ३६० देखि १५००/- | १५००/- |
| ख. बिदेशी रु १००० देखि ५०००/- | ५०००/- |
| **साईनबोर्ड लेख्ने (पेन्टर) तर्फ** |  |
| १. आफै साईनबोर्ड लेख्ने काम गर्ने लाई | ५००/- |
| २. कामदार राखी साईनबोर्ड लेख्ने काम गर्ने लाई | १०००/- |
| हाउजिङ कम्पनी( जग्गा खरिद बिक्री गर्ने) | १५०० देखि ५००० सम्म |
| **पेशा कर (विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक कर तर्फ** |  |
| १. डाक्टर | २०००/- |
| २. ईन्जिनियर | २०००/- |
| ३. अधिवक्ता | २०००/- |
| ४. ओभरसियर(सव ओभरसियर समेत) | २०००/- |
| ५ नक्सा बनाउने कार्य गर्ने | २०००/- |
| ६. अभिवक्ता  | १०००/- |
| ७. कम्पाउण्डर | ५००/- |
| ८. बिमा एजेन्ट तथा शेयर दलाल | १०००/- |
| ९. कविराज | ५००/- |
| १०. अनुसन्धान तथा परामर्श दाता | २०००/- |
| ११. सर्भेयर | २०००/- |
| १२. पशु चिकित्सक | १५००/- |
| १३. सामान ढुवानी | २०००/- |
| **निर्माण व्यवसायतर्फ** |  |
| क श्रेणीको लागि | ५०००/- |
| ख श्रेणीको लागि | ४०००/- |
| ग श्रेणीको लागि | ३५००/- |
| घ श्रेणीको र्इजाजत र नविकरण | १०००/- |
| घ म्याद नघार्इ नविकरण गराए | २०००।- |
| र्इजाजत पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर | ५००।- |
| **लेखापरीक्षक तर्फ** |  |
| क श्रेणीको लागि | ३०००/- |
| ख श्रेणीको लागि | २०००/- |
| ग श्रेणीको लागि | १५००/- |
| घ श्रेणीको लागि | १०००/- |
| **शिक्षा सेवा तर्फ** |  |
| क. पूर्व प्राथमिक विद्यालय दर्ता अनुमति पत्र( निजी ) | २०००/- |
| ख. पूर्व प्राथमिक विद्यालय नविकरण ( निजी )नोट– कक्षा १ देखि ५ सम्मको लागि धरौटी वापत रु.५००००/– | १०००/- |
| ग. आधारभुत तह सम्मको विद्यालय अनुमित र कक्षा थप दर्ता ( निजी ) | २०००/- |
| नोट- कक्षा ६ देखि ८ सम्मको लागि धरौटी वापत रु.१५००००/– |  |
| घ. मा.वि.तह सम्मको विद्यालय अनुमित र कक्षा थप दर्तानोट- मा.वि.तह सम्मको लागि धरौटी वापत रु.२०००००/– | ३०००/- |
|  |
| ङ.कम्प्यूटर टाईपिङग,तालिम अनुसन्धान तथा भाषण प्रशिक्षण दिने सस्था र टिउसन सेन्टर आदी | २०००/- |
| विधालय ठाँउसारी निजी | २०००/- |
| **स्वास्थ्य सेवा तर्फ** |  |
| क. गैर सरकारी अस्पताल(निजी) | ५०००/- |
| ख. मेडिकल कलेज अस्पताल (निजी) | ५०००/- |
| ग. क्लिनिक (निजी) | ३०००/- |
| घ.ल्याब (निजी) | २०००/- |
| **गैर सरकारी सस्थाहरु तर्फ** |  |
| १. गैर सरकारी सस्था राष्ट्रिय | १०००/- |
| २. गैर सरकारी सस्था अन्तराष्ट्रिय | ५०००/- |
| **जुट वाईण्डिगं उद्योग तर्फ** |  |
| क. मेशिनबाट जुट वाईण्डिगं प्रति अश्व शक्ति (एकमुष्ट) | २०००/- |
| ख. हातबाट जुट वाईण्डिगं गर्ने  | ५००/- |
| ग. कराही उद्योग | १५००/- |
| घ. गलैचा उद्योग | ३०००/- |
| **प्लाई उद्योगतर्फ**  |  |
| क. रु १ करोड ५० लाख सम्म पूँजि भएको | ७०००/- |
| ख. रु १ करोड ५० लाख भन्दा माथि पूँजि भएको | १००००/- |
| ग. रु १ करोड ५० लाख भन्दा कम पूँजि भएको | ३०००/- |
| घ.प्लाई बिक्री गर्ने खुद्रा पसल | २०००/- |
| **अन्य उद्योग तर्फ** |  |
| १. भेनियर उद्योग | २०००/- |
| २. गुटका उद्योग | ३०००/- |
| ३. बिडी उद्योग | २०००/- |
| ४. मसला,कपास र अगरवती प्याकेजिङगं उद्योग | १०००/- |
| ५. इलेक्ट्रीक स्वीच बोर्ड बनाउने | १०००/- |
| ६. धान कुट्ने,तेल पेल्ने,खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग | २०००/- |
| ७. प्लाष्टिक पोलोथिन उद्योग | ३०००/- |
| ८. कस्मेटीक सामग्री बिक्री गर्ने तर्फ | २०००/- |
| ९. ग्रील उद्योग | २०००/- |
| १०. डेरी उद्योग | २०००/- |
| ११. स्ववास शर्वत उद्योग | १५००/- |
| १२. आइसक्रिम उद्योग | १५००/- |
| १३. बेकरी पाउरोटी उद्योग | १०००/- |
| १४. रेलिङ,पुल,ईनारको रिंग तथा सिमेन्टको अन्य सामान उत्पादन गर्ने उद्योग | २०००/- |
| १५. जुट तथा धागोबाट तयार गरिने झोला उद्योग | १०००/- |
| १६. आल्मुनियमको ग्रिल तथा सामान बनाउने उद्योग | २०००/- |
| **गार्मेन्ट उद्योग तर्फ** |  |
| क. १०० भन्दा बढी मेशीन भएको | १००००/- |
| ख.५० देखि १०० सम्मको मेशीन भएको | ५०००/- |
| ग. १ देखि ५० सम्म मेशीन भएको | २०००/- |
| **फर्निचर तथा स-मिल तर्फ** |  |
| १. स-मिल | ३०००/- |
| २. फर्निचर उधोग(मेशीनबाट चल्ने) | २५००/- |
| ३. फर्निचर उधोग(हातबाट चल्ने) | २०००/- |
| ४. दाल मिल | ३०००/- |
| ५. बिट उधोग | १०००/- |
| **केवल संचालन गर्ने व्यवसाय तर्फ** |  |
| १. २०० सम्म ग्राहक संख्या भएको | ५०००/- |
| २. २०० देखि ५०० सम्म ग्राहक संख्या भएको | ८०००/- |
| ३. ५०० देखि माथि ग्राहक संख्या भएको | १२०००/- |
| नोटः-न.पा.को विज्ञापन प्रशारण गरे वापत ५०% कर छुट दिने । |  |
| छपाई तथा प्रकाशन व्यवसाय | २०००/- |
| कृषि तथा वनजन्य व्यवसाय |  |
| क. खाद्य पदार्थ,बिउबिजन उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने | २०००/- |
| ख. गाई,भैसी पालन गर्ने व्यवसाय दर्ता । | २०००/- |
| नोटः-गाई,भैसी पालन गर्ने व्यवसायको लागि अन्य निकायमा सिफारिस  | ६००/- |
| यस कार्यालयमा व्यवसाय/फर्म दर्ता गराई ईजाजत पत्र लिएका व्यवसायीहरु प्रत्येक आ.a.को आश्विन महिना भित्र व्यवसाय/फर्मको नविकरण गराए,लागेको दर्ता दस्तुरको २५%छुट पाईनेछ । त्यस पश्चात नविकरण गराएमा लागेको दर्ता दस्तुर बराबरको दस्तुर लाग्नेछ । |  |
| यसमा नखुलेका व्यवसायहरुको लागि प्रकृति हेरी व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण दस्तुर लाग्नेछ । | १००० देखि १५००० सम्म |

**अनुसूचि-६**

**जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर**

|  |  |
| --- | --- |
| कवाडीको कारोबार गर्नेबाट प्रति ट्रक निकाशीमा | १०००/- |
| कवाडीको कारोबार गर्नेबाट प्रति ट्रयाक्टर निकाशीमा | ५००/- |

जडीबुटी,जीवजन्तु कर नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम निर्धारण गरी लागु गरिनेछ ।

**अनुसूचि-७**

**स्थानीय पूर्वाधार शुल्क(सवारी कर)**

|  |  |
| --- | --- |
| **सवारी कर तर्फ** |  |
| नगरपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका सवारीहरुमा निम्नानुसारको बार्षिक सवारी कर लिने |  |
| क. बस,ट्रक,लहरी | ३०००/- |
| ख. जीप कार मिनिबस(भाडाको) | ५००/- |
| ग. टेम्पु | ३००/- |
| घ. टेक्टर | १५००/- |
| ङ. कार टेम्पु,मिनिबस (निजी) | ५००/- |
| च. ठेला गाडी रिक्सातथा टाँगा | २५/- |
| छ. राँगा गाडी | ३५/- |
| ज. गोरु गाडी | २५/- |
| झ. रिक्सा भेन (बोडिङं स्कुल) | ७५/- |
| ञ. सामान बोक्ने रिक्सा | ३५/- |
| ट. पावर टेलर | २००/- |
| **बार्षिक सवारी कर तिरेको बाहेक बाहिरबाट आउने निम्न सवारीहरुमा निम्नानुसारको स्थानीय पूर्वाधार शुल्क(सवारी कर) लाग्ने छ ।** |  |
| १. स्वदेशी बस ट्रक | २०/- |
| २. स्वदेशी मिनिबस माइक्रोबस,पिक अप | १०/- |
| ३. स्वदेशी भाडाका जीपकार | १०/- |
| ४. स्वदेशी भाडाका टेम्पु वा सफा रिक्सा वा टेम्पु | १०/- |
| ५. स्वदेशी टयाक्टर | २०/- |
| ६. बिदेशी टेम्पु | २०/- |
| ७. बिदेशी जीपकार,पिक अप,टयाक्टर समेत | ४०/- |
| ८. बिदेशी ट्रक बस भारी सवारी साधन समेत | २००/- |
| **रिक्सा दर्ता,नविकरण तथा चालक प्रमाण पत्र तर्फ** |  |
| १. नयाँ रिक्सा,ठेला भेन दर्ता  | ५०/- |
| २. नयाँ रिक्सा,ठेला भेन नविकरण | २५/- |
| ३. नयाँ रिक्सा,ठेला भेन बुक र फारम दस्तर रु ५ समेत | ३०/- |
| ४. रिक्सा चालक अनुमति पत्र बुक सहित | ३०/- |
| ५. रिक्सा चालक अनुमति पत्र नविकरण | १०/- |
| ६. रिक्सा नामसारी दस्तुर | ३०/- |

**अनुसूचि-८**

**विज्ञापन कर**

|  |  |
| --- | --- |
| **विज्ञापन कर तर्फ** |  |
| १. होडिङग बोर्डको (ठूलो सार्इज) | २०००/- |
| २. विज्ञापन बोर्ड मदिरा तथा सुतिजन्य पदार्थ प्रति बोर्ड | १५००/- |
| ३. विज्ञापन बोर्ड अन्य प्रति बोर्ड (सानो सार्इज) | ५००/- |
| ४. ब्यानर पटके | १००/- |
| ५.वाल पेन्टीङग प्रति व.मी. | ५/- |
| नोट सार्वजनिक हितका वा जनचेतना मूलक विज्ञापनमा कर लगार्इने छैन साथै व्यवसायीले आफ्नै पसलको बोर्ड आफ्नै पसल अगाडी राखेको बोर्डमा विज्ञापन कर लाग्नै छैन । |  |

**अनुसूचि-९**

**मनोरंजनकर**

|  |  |
| --- | --- |
| **मनोरंजन कर तर्फ** |  |
| १.सिनेमा हलको प्रति टिकट रु.जम्मा आम्दानीको २ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशत सम्म | ३% |
| नोटः-यसरी लाग्ने मनोरंजन शुल्क मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने |  |
| २.सार्वजनिक स्थानमा सर्कस प्रदर्शन गर्नेलार्इ दैनिक | २५०/- |
| ३.बहुरुपी खेल देखाउने लाई दैनिक | ५०/- |
| ४.समय-समयमा लाग्ने (मेला ठेकेदारबाट पेशा कर वापत) दैनिक | ३००/- |
| ५.सार्वजनिक स्थानमा भिडियो तथा फिल्म सुटिङग गर्ने निर्माणकर्ता लाई | २०००/- |

**अनुसूचि-१०**

**पार्किङ शुल्क**

|  |  |
| --- | --- |
| **पार्किङग शुल्क बसपार्क बाहिर** |  |
| १. लामो दुरीको बस,ट्रक लाई | ४०/- |
| २. छोटो दुरीको बस, ट्रक लाई | ३०/- |
| ३. जीप कार टेम्पु लाई | २०/- |
| ४. रिक्सा,ठेला | १०/- |

s\_ gu/ If]q leq k|j]z ug]{ ;jf/L ;fwgx?nfO{ Jojl:yt kfls{ésf] Joj:yf u/]df ;f] :yfgdf kfs{ u/] jfkt a;, ^«s, cfbLdf Ps k^sdf ?=४०। kfls{é z"Ns lnO{g] % .

-v\_ s"g} klg ;jf/L ;fwgn] lghL :jfldTjdf /x]sf] :yfgdf kfls{é u/]sf] cj:yf jfx]s gu/kflnsf If]q leqsf ;fj{hlgs :yfgx? ;\*ssf] %]p cfbL :yfgdf 15 ldg]^ eGbf a(L ;dosf] nflu kfls{é u/]df k|To]s k^sdf ?=10.00 kfls{é z"Ns lng] % . o:tf] z"Ns k|To]s 24 #)^fdf yk nfUb} hfg] % .

**अनुसूची-११**

**बहाल बिटौरी कर**

|  |  |
| --- | --- |
| **विटौरी कर तर्फ जग्गा बहालकर** |  |
| क. भित्री सडकमा गुदरीपट्टी र बसपार्क समेतको पिच सडकले छोएको जग्गा प्रति वर्ग फिट मासिक रु | १/- |
| ख. सो बाहेक अन्य सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग फिट मासिक | २/- |
| ग. खेती योग्य जमिन प्रति कट्ठा बार्षिक रु | १२०/- |
| **अस्थायी हाट बजार,घुम्ती पसल शुल्क र पशु मवेशी तर्फ** |  |
| १. तरकारी पसल १ टोकरीको लागि  | ५/- |
| २. तरकारी पसल १ देखि ५ टोकरी सम्मलाई | १०/- |
| ३. आँप,लिची,तरबुजा इत्यादीको पसललाई  | ५/- |
| ४. मिठा खुद्राको प्रति पसल | ५/- |
| ५. चामल,दाल,चिउरा,पिठो १ टोकरीको पसलको लागि | ५/- |
| ६. चामल,दाल,चिउरा,पिठो १ टोकरी देखि ५ टोकरी सम्मको लागि | १०/- |
| ७. माछा,मासु पकाई बिक्री गर्ने बाट दैनिक रु | १०/- |
| ८. राँगा,खसी,काचो मासु काटी बिक्री गर्नेबाट दैनिक रु  | २०/- |
| ९. सुंगुर,बंगुर, काचो मासु काटी बिक्री गर्नेबाट दैनिक रु | २०/- |
| १०. सानो माछा बिक्री गर्ने पसललाई रु | १०/- |
| ११. ठुलो माछा बिक्री गर्ने पसललाई रु | २०/- |
| १२. माटोको भाँडा पसलबाट  | ५/- |
| १३. आल्मुनियमको भाँडा पसलबाट | १०/- |
| १४. सतु,लिटी,समोसा,मिठाई,चाट,अण्डा,चिया पसलको प्रति ठेला गाडाको | १५/- |
| १५. हजाम पसल | ५/- |
| १६. रस्सी,डोरी,सावे,खुद्रा पसलको लागि | ५/- |
| १७. रस्सी,डोरी,सावे प्रति टायर गाडाको लागि | ३५/- |
| १८. नरिवल,बदाम,मिठाई खोम्चामा बिक्री गर्नेलाई | ५/- |
| १९. कुखुरा हाँस प्रति स्टल | २०/- |
| २०.कपडा पसलबाट | १५/- |
| २१. पर्चुन पसलबाट | १५/- |
| २२. मुख ३ फिट पछाडी ५ फिट सम्मको जग्गामा पान,बिडी,सिगरेट,फलफुल,टोपी,चुरा,धागो,पोते,कपडा,घडी मेकानिक पसल गर्ने अस्थायी पसललाई दैनिक | १०/- |
| २३. मुख ३ फिट १ इन्च देखि ८ फिट सम्म र पछाडी ६ फिट सम्मको अस्थायी पसललाई दैनिक | ५/- |
| २४. मुख ८ फिट १ इन्च देखि १४ फिट सम्म र पछाडी ७ फिट सम्मको अस्थायी पसललाई दैनिक | १०/- |
| २५. मुख १४ फिट १० इन्च देखि २० फिट सम्म र पछाडी ७ फिट सम्मको अस्थायी पसललाई दैनिक | १०/- |
| २६.बोरा आदीमा जगेडा नराखी चिउरा मुरी ढाकीमा राखी बिक्री गर्ने,साँगपात भक्का (मुठ्ठा) बनाई बेच्ने,ढक्कीमा हरदी बेच्नेलाई | ५/- |
| २७. गाई गोरु, ,बाछा बाछी,राँगा भैसी,पाडा पाडी,घोडा घोडी,बछेडा,बछेडी चैपाया हाटमा खरिद बिक्री गर्ने दुबै थरीबाट रु १०० मा रु १/१ का दरले जम्मा सयकडामा  | २/- |
| २८. जीप,पीकअपबाट हाटबजारमा तरकारी वा अन्य सामग्री ओसार पसार गर्ने बाट दैनिक | ५०/- |
| २९. छुटफुट भएको बिभिन्न बस्तुको प्रति पसलबाट | ५/- |
| गुदरी बजारको ठेक्का लगाउदा सार्वजनिक सडक पेटीमा अस्थार्इ रुपमा लगाएको हाट बजार वा पसल समेतको लगाउने । |
| **कान्जी हाउस तर्फ** |  |
| १. भैसी, राँगा, गाई गोरु,घोडा घोडी दैनिक | ७०/- |
| २. पाडा पाडी, बाछा बाछी, बछेडा बछेडीमा दैनिक | ४०/- |
| ३. बाख्रा बाख्रीमा दैनिक  | १५/- |
| ४. संगुर गधामा दैनिक | ४०/– |
| ५. अन्यमा दैनिक | ३०/– |

**अनुसूचि-१२**

**सेवा शुल्क र दस्तुर**

|  |  |
| --- | --- |
| निवेदन दस्तुर(टिकट वापत) प्रत्येक निवेदनमा | १०/- |
| साधारण सिफारिस  | ९०/- |
| नागरिकता सिफारिस | ९०/– |
| व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित | ३००/– |
| छात्रवृति सिफारिस(विपन्न र अपाङगलार्इ नलाग्ने) | ९०/– |
| आर्थिक अवस्था कमजोरको सिफारिस | ९०/- |
| आर्थिक अवस्था बलियोको सिफारिस | १०००/– |
| जिवित रहेको प्रमाणित | २००/– |
| मृत्यु भएको प्रमाणित | ९०/- |
| संरक्षक प्रमाणित | ३००/- |
| **विद्युत सिफारिस** |  |
| क. ग्राहस्थ  | ५००/- |
| ख. व्यापार/व्यवसाय | ७५०/- |
| ग. मेशीनबाट चल्ने व्यवसाय | ७५०/- |
| घ. थ्रिफेज | १५००/- |
| ङ के.भि.ए. उल्लेख भएकोमा प्रति के.भि.ए. | २०००/- |
| धारा सिफारिस | ५००/- |
| धारा सिफारिस गर्दा पक्की बाटो फोड्नु पर्ने भएमा बाटोको अवस्था हेरी कम्तीमा रु ५०००/- देखि प्राबिधिक मूल्यांकन बमोजिमको रकम यस न.पा.को धरौटी खातामा जम्मा राखी मात्र सिफारिस गरिनेछ । फोडिएको बाटो सेवाग्राहीले नै पुनः मर्मत गरी प्राबिधिकको सिफारिस भई आएमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ |  |
| राहादानी सिफारिस | ५००/- |
| परिचय पत्र | ९०/- |
| घरबाटो तथा चारकिल्ला प्रमाणित | १ कित्ताको ५०० त्यसपछि ५ कित्ता सम्म १५० सातौ कित्ता देखि माथि १००/- |
| नाता प्रमाणित | ३००/- |
| जन्म प्रमाणित | २००/- |
| घर निर्मणको लागि काठ सिफारिस | रु ४ प्रति क्यूफिट |
| घर जग्गा नामसारी/हकभोग प्रमाणित/मोही लगत कट्टा/मोही नामसारी १०कट्ठा भन्दा तल | ५००/- |
| घर जग्गा नामसारी/हकभोग प्रमाणित/मोही लगत कट्टा/मोही नामसारी १०कट्ठा भन्दा माथि | ७५०/- |
| सम्पति मूल्यांकन/जग्गा मूल्यांकन ‍(प्रति हजार) | रु १/- |
| आय प्रमाणित प्रति हजार | रु १/- |
| नक्सा फिल्ड बुकको नक्कल सिफारिस | २००/- |
| हैसियत प्रमाणित (प्रत्येक २५ लाख सम्म) | २०००/- |
| जग्गाधनी लालपूर्जाको नक्कलको सिफारिस वा तिन पुस्ते प्रमाणित | ३००/- |
| सस्था दर्ता सिफारिस | ५००/- |
| कृषक समुह दर्ता सिफारिस | १००/- |
| नक्सा पास निवेदनको किताव | १०००/- |
| **नक्सा पास दस्तुर(आवासिय भवन तर्फ)** |  |
| बेशमेन्ट प्रति वर्ग फिट | ५/- |
| भुई तल्ला प्रति वर्ग फिट | ६/- |
| प्रथम तल्ला प्रति वर्ग फिट | ७/- |
| दोश्रो तल्ला प्रति वर्ग फिट | ८/- |
| तेश्रो तल्ला प्रति वर्ग फिट | ९/- |
| चौथो तल्ला प्रति वर्ग फिट | १०/- |
| पाँचौ तल्ला प्रति वर्ग फिट | ११/- |
| कम्पाउण्वाल प्रति रनिङ फिट | ९/- |
| घर नक्सा नामसारी | १५००/- |
| अमिन द्धारा जग्गा नाँपजाँच | ८००/- |
| **नक्सा पास दस्तुर(व्यावसायिक भवन तर्फ)** |  |
| बेशमेन्ट प्रति वर्ग फिट | ७/- |
| भुई तल्ला प्रति वर्ग फिट | ८/- |
| प्रथम तल्ला प्रति वर्ग फिट | ९/- |
| दोश्रो तल्ला प्रति वर्ग फिट | १०/- |
| तेश्रो तल्ला प्रति वर्ग फिट | ११/- |
| चौथो तल्ला प्रति वर्ग फिट | १२/- |
| पाँचौ तल्ला प्रति वर्ग फिट | १३/- |
| कम्पाउण्वाल प्रति रनिङ फिट | १०/- |
| घर नक्सा नामसारी | १५००/- |
| अमिन द्धारा जग्गा नाँपजाँच | १०००/- |
| **नक्सा पास दस्तुर(सार्वजनिक संघ/सस्थाको भवन तर्फ)** |  |
| बेशमेन्ट प्रति वर्ग फिट | ८/- |
| भुई तल्ला प्रति वर्ग फिट | ९/- |
| प्रथम तल्ला प्रति वर्ग फिट | १०/- |
| दोश्रो तल्ला प्रति वर्ग फिट | ११/- |
| तेश्रो तल्ला प्रति वर्ग फिट | १२/- |
| चौथो तल्ला प्रति वर्ग फिट | १३/- |
| पाँचौ तल्ला प्रति वर्ग फिट | १४/- |
| कम्पाउण्वाल प्रति रनिङ फिट | ११/- |
| घर नक्सा नामसारी | २०००/- |
| अमिन द्धारा जग्गा नाँपजाँच | १५००/- |
| नोटः दुई वर्ष भित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिए लागेको नक्सापास दस्तुरको ५% दस्तुर लाग्नेछ । २ वर्ष म्याद नघाएर म्याद थपको लागि निवेदन दिए लागेको नक्सापास दस्तुरको ५०% दस्तुर लाग्नेछ । म्याद नघाई सम्पन्न प्रमाण पत्र लिने लाई प्रमाण पत्र दस्तुर १५००/- लाग्नेछ । |  |
| सभाहल भाडाः- जेनेटर सुविधा बाहेक १२००/- जेनेटर सुविधा समेत १५००/-(इन्धन आफै हाल्ने) सार्वजनिक हितको लागि आयोजन हुने सभा सम्मेलनको लागि नगर प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले औचित्य र आवश्यकता हेरी सभाहल निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछन । | १५००/- |
| प्रोजेक्टर सेवा शुल्क | १०००/- |
| **व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर** |  |
| **जन्म दर्ता** |  |
| क. ५ वर्ष उमेर सम्मको सबै वर्ग र समुदायका बालबालिका | १०/- |
| ख. ५ वर्ष भन्दा माथि (दलित,अपांग) | २०/- |
| ग. ५ वर्ष भन्दा माथि (अन्य) | ५०/- |
| **बिबाह दर्ता** |  |
| क. दलित र अपांग | १०/- |
| ख. अन्यको हकमा  | ५०/- |
| **मृत्यू दर्ता** |  |
| क. दलित र अपांग | १०/- |
| ख. अन्यको हकमा  | ५०/- |
| सम्बन्ध विच्छेद | ५०/- |
| बसाई सराई | ५०/- |
| नोटः ३५ दिन भित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन आएमा कुनै किसिमको दस्तुर लाग्ने छैन |  |
| **सेफ्टी टैंक सरसफाई मेशिन तर्फ** |  |
| १. नक्सापास गराई घरजग्गा कर चुक्ता गरेकोलाई (न.पा.क्षेत्र भित्र) | २०००/- |
| २. नक्सापास नभएको तर घरजग्गा कर चुक्ता गरेकोलाई (न.पा.क्षेत्र भित्र) | ३०००/- |
| ३.व्यवसायकर तिरेको लाई (न.पा.क्षेत्र भित्र) | ३०००/- |
| ४. नक्सापास नगराएको र घरजग्गा कर नतिरेकोलार्इ (न.पा.क्षेत्र भित्र) | ४०००/- |
| ५. नगरपालिका क्षेत्र भन्दा बाहिरको लाई | ५०००/- |
| ६.रिङगवाला शौचालयको (न.पा.क्षेत्रभित्र) | २०००/- |
| ७.रिङगवाला शौचालयको (न.पा.क्षेत्र बाहिर) | ३०००/- |
| गाई,भैसी पालन गर्ने व्यवसायको लागि अन्य निकायमा सिफारिस  | ६००/- |
| सार्वजनिक शौचालय शुल्क नीजि क्षेत्र सँग साझेदारी वा ठेक्काकोमाध्यमबाट शुल्क निर्धारण गरी सञ्चालन गर्ने । |  |
| जे.सि.बी. भाडा प्रति घण्टा (र्इन्धन सहित) | २२००/- |
| प्रति पाना प्रतिलिपी दस्तुर  | १०/- |
| रुख काट्नको लागि सिफारिस दिदाँ प्रति सिफारिस रु = | २००/- |
| यस नगरपालिकाबाट गरिने सम्पती मूल्यांकन र आयश्रोत प्रमाणित सिफारिस दिदाँ तोकिएको सिफारिस दस्तुरमा थप सत प्रतिशत दस्तुर लिई सिफारिस गरिनेछ । |  |

**अनुसूचि१३**

**भाडा तथा बहालबाट आय**

|  |  |
| --- | --- |
| पशुबधशाला कोठा | २०००/- |
| गुदरी बजारको दक्षिण पट्टीको पक्कि प्रति कोठा | १२००/- |
| गुदरी बजारको पक्कि कोठा प्रति कोठा उत्तर पट्टीको (खुल्ला टेण्डर न्युनतम) | १२००/- |
| गुदरी बजारको मासु पसल प्रति कोठा | ९००/- |
| नोटः सोही महिनाको १५ गते भित्र भाडा बुझाए १०% छुट,१६ गते देखि महिना भित्र बुझाए छुट पाईने छैन र महिना नाघे पछि बुझाए १०% जरिवाना लाग्नेछ । |  |
| नगरपालिकको स्वामित्वमा रहेको पोखरी,भवन,बसपार्क वा अन्य करहरु संकलन गर्न नीजि क्षेत्र सँग साझेदारी वा ठेक्काको माध्यमबाट न.पा.ले आन्तरिक आय संकलन गर्न सक्ने छ । |  |

**अनुसूचि १४**

**विजुली र टेलिफोन पोल शुल्क**

बिजुली र टेलिफोन पोल कर नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम निर्धारण गरी लागु गरिनेछ ।

**अनुसूचि-१५**

**पर्यटन शुल्क**

पर्यटन शुल्कनगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम निर्धारण गरी लागुगरिनेछ ।

**अनुसूचि १६**

**दण्ड जरिवाना**

|  |  |
| --- | --- |
| निषेधित क्षेत्रमा व्यवसाय,व्यापार गर्नेलाई | ५००/- देखि १५०००/- सम्म |
| निषेधित क्षेत्रमा फोहर फालेमा वा फोहर गरेमा | ५००/- देखि ५०००/- सम्म |
| सार्वजनिक सडक अवरोध गर्ने गरी कुनै कार्य गरेमा | ५००/- देखि ५०००/- सम्म  |
| अन्य कानुन बमोजिम निषेध गरीएको कार्य गरेमा | ५००/- देखि १५०००/- सम्म  |

 **प्रमाणिकरण गर्ने**

 अजय कुमार गुप्ता

 नगर प्रमुख